


तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज अपील संख्या 111/2022 बअनवान गेगाराम बनाम भूराराम वगै.	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुवम की रागील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"> न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाङ्गोर पीठारीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस आदेश </p> <p style="text-align: right;">दिनांक 20.07.2023</p> <p>उपस्थिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री भगवानदारा गौयल 2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री लाखाराम साहू <p>अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये राग्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दरजावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुरथापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जवरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-</p> <p>AIR 2018 SC Page 2039 CCC 2022(1) Page 75</p> <p>रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद विचाराधीन हैं। हस्तगत अपील मेंटेनेबल नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चारोजोही करे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व आवेदन संख्या 09/2018 बअनवान भूराराम बनाम लाखाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 को यथावत रखा जाता है।</p>	

Handwritten signature
 राजस्व अपील प्रा
 बाङ्गोर

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।
आदेश सरे इजलाश दिनांक 20.07.2023 को सुनाया गया।


(पूजा पिलानिया)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
वाडगेर